(29)

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–1
संख्या– 1377(2)/XV-1/2(5)/10
देहरादूनः दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग–2 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1524/XXX(2)/11 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय डा० बलभद्र सिंह, संयुक्त निदेशक, पशुपालन, वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 को अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. डा० सिंह को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अपर निदेशक के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है। डा० सिंह की पदस्थापना के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अरूण कुमार ढौंडियाल
सचिव

संख्या–1377 (3)/XV-1/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, पशुपालन मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड।
10. सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग।
11. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०/यू०एस०डब्लू०डी०बी०, देहरादून।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद।
14. समस्त अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
15. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रूड़की को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
17. संबंधित अधिकारी।
18. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव